

अध्याय - 6

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर क्षेत्रवार मूल्यांकन

6.1 राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के अनुसार, राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के उद्देश्य से संपूर्ण भारत देश को तीन क्षेत्रों अर्थात् "क" क्षेत्र, "ख" क्षेत्र एवं "ग" क्षेत्र में बांटा गया है। क्षेत्र "क" से बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह अभिप्रेत हैं, क्षेत्र "ख" से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जबकि "ग" क्षेत्र में शेष राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। समिति ने अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2010 तक उक्त क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कुल 2095 कार्यालयों का निरीक्षण किया। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त अवधि के दौरान 869 कार्यालयों का पहली बार निरीक्षण किया गया और इन में से 236 कार्यालयों का 10 वर्षों बाद पुनः निरीक्षण कर यह जानने का प्रयास किया गया कि स्थिति में क्या सुधार हुआ है। समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के निरीक्षणों के दौरान एकत्र आंकड़ों को क्षेत्रवार संकलित करने पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए वे इस प्रकार हैं :-

6.2 समिति ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान क्षेत्र "क", "ख" और "ग" के क्रमशः कुल 888, 350 और 857 कार्यालयों का निरीक्षण किया। इन कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 204086, 104793 और 199470 थी और इनमें से हिन्दी जानने वालों की संख्या क्रमशः 201208, 97370 और 139567 थी जबकि 75 प्रतिशत से अधिक काम करने वालों की संख्या क्रमशः 111611, 14067 और 10841 पाई गई। यदि जनवरी, 2002 से मार्च, 2005 के दौरान निरीक्षित कार्यालयों (आठवां खंड) से एकत्रित आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो पता चलता है कि इनमें "क" क्षेत्र को छोड़कर जहां यह 55.4 प्रतिशत था, क्षेत्र "ख" और "ग" में बहुत गिरावट आई है। जनवरी, 2002 से मार्च, 2005 के दौरान यह प्रतिशत क्रमशः 48, 59 और 22 प्रतिशत था जबकि अब यह क्रमशः 55.4, 14.4 और 7.78 प्रतिशत है।

6.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन की स्थिति तीनों क्षेत्रों के कार्यालयों में क्रमशः 85, 95 और 88 प्रतिशत पाई गई जिसका औसत 89 प्रतिशत बैठता है। यदि 2002-2005 के आंकड़ों से जो कि 97.39 प्रतिशत है, इसकी तुलना करें तो इसमें भी गिरावट दिखाई देती है। समिति इसके लिए असंतोष व्यक्त करती है कि अभी भी इस धारा का शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं हो रहा है।

6.4 समिति को प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र "क", "ख" और "ग" में स्थित कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के क्रमशः 99.92, 99.95 और 98.66 प्रतिशत उत्तर हिन्दी में दिए गए अर्थात् क्रमशः 0.8 प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत और 1.44 प्रतिशत पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए हैं। 2002-2005 के दौरान यह उल्लंघन क्रमशः 16 प्रतिशत, 81 प्रतिशत और 33 प्रतिशत पाया गया था। अतः यद्यपि नियम-5 के अनुपालन में सुधार हुआ है, तथापि समिति का कहना है कि राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में

निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 100 प्रतिशत, 100 प्रतिशत और 100 प्रतिशत है । अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ।

6.5 समिति के समक्ष यह तथ्य आया कि "क", "ख" और "ग" तीनों क्षेत्रों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य का प्रतिशत क्रमशः 59.06, 47.38 और 29.27 प्रतिशत है जबकि 2002-2005 के आंकड़ों के अनुसार यह प्रतिशत क्रमशः 39 प्रतिशत, 34 प्रतिशत और 14 प्रतिशत था । अतः समिति ने संतोष प्रकट करते हुए कहा है कि जहां तक कंप्यूटर में हिन्दी में हो रहे कार्य का संबंध है, इसमें सुधार हुआ है परंतु अभी लक्ष्य से हम दूर हैं । इन कार्यालयों में उन कंप्यूटरों की संख्या जिनमें द्विभाषी साफ्टवेयर लगे हैं, उपर्युक्त क्षेत्रों में, क्रमशः 79785, 36409 और 56122 थी ।

6.6 यदि पत्राचार का प्रतिशत देखा जाए तो "क" क्षेत्र के कार्यालयों ने "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के कार्यालयों को क्रमशः 72.08, 56.47 और 47.99 प्रतिशत पत्र भेजे। जबकि आठवें खंड के लेखन के समय यह प्रतिशत क्रमशः 63, 50 और 32 ही था ।

6.7 क्षेत्र "ख " के कार्यालयों के लिए यह क्रमशः 57.87 प्रतिशत, 61.59 प्रतिशत और 37.49 प्रतिशत रहा। जबकि 2002-2005 के दौरान यह 48, 45 और 28 प्रतिशत था ।

6.8 इसी प्रकार, जहां तक क्षेत्र "ग " का संबंध है यह क्रमशः 37.09 प्रतिशत, 30.32 प्रतिशत और 36.39 प्रतिशत रहा। जबकि 2002-2005 के आंकड़ों से पता चलता है कि यह प्रतिशत क्रमशः 30, 24 और 23 प्रतिशत था । अतः समिति का कहना है कि जबकि पत्राचार में भी सुधार दृष्टिगोचर होता है फिर भी लक्ष्य से यह काफी दूर है ।

6.9 यहां यह भी बताना संगत होगा कि तीनों क्षेत्रों में क्रमशः 753(434), 290(117) और 287(112) कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित पाए गए । अर्थात् इन कार्यालयों में हिन्दी में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है । यदि आठवें खंड के आंकड़ों (कोष्ठक में दर्शाित) से इनकी तुलना की जाए तो निश्चित रूप से इसमें सुधार नजर आता है ।

6.10 समिति ने पाया कि तीनों क्षेत्रों अर्थात् "क", "ख" और "ग" में स्थित कार्यालयों में रजिस्ट्रों की कुल संख्या क्रमशः 92671, 46484 और 68124 थी जिनमें से तीन क्षेत्रों में अंग्रेजी में शीर्ष नाम वाले रजिस्ट्रों की संख्या क्रमशः 7760, 362 और 3843 थी तथा क्रमशः 15772, 11440 और 36844 रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां केवल अंग्रेजी में की जा रही हैं। जबकि 2002-2005 के दौरान "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में क्रमशः 15172, 9539 और 22708 रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां अंग्रेजी में हो रही थी । इसी प्रकार सेवा अभिलेखों/सेवा पुस्तिकाओं की कुल संख्या 331517, 167992 और 346923 है और वर्ष 2002-2005 में "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में की जा रही 41188, 57001 तथा 138331 सेवा अभिलेखों में अंग्रेजी में प्रविष्टियों की तुलना में अब क्रमशः 44494, 32646 और 153472 सेवा अभिलेखों में प्रविष्टियां अंग्रेजी में की जा रही हैं । समिति ने इस पर असंतोष प्रकट करते हुए इसे गंभीरता से लिया और इस दिशा में ठोस कदम उठाने की सलाह दी ।

6.11 समिति ने पाया कि उक्त तीनों क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों आदि के अंतर्गत आने वाले प्रशिक्षण संस्थानों में क्रमशः 1377, 4379 और 4040 पाठ्यक्रम अंग्रेजी में चलाए जा रहे हैं जबकि मिले-जुले माध्यम से क्रमशः 11971, 18125 और 4080 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इसी प्रकार द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री का प्रतिशत भी क्रमशः 38.3, 22.52 और 17.22 पाया गया । जो कि समग्रतः 26 प्रतिशत बैठता है । आठवें खंड के लेखन के दौरान द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री का प्रतिशत समग्रतः 24.3 प्रतिशत था । अतः इस मद में मामूली सुधार देखने में आता है । समिति का मत है कि प्रशिक्षण संस्थाओं को इस ओर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए।

6.12 प्राप्त जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है कि कार्यालयों आदि में कुल टंकक/ आशुलिपिकों की संख्या 22988, 12552 और 18384 है जिनमें से क्रमशः 16836, 6171 और 8382 टंकक/आशुलिपिक हिन्दी जानने वाले हैं और 10985, 3590 और 2768 हिन्दी में काम करते हैं जो क्रमशः 65, 58 और 33 प्रतिशत बैठता है जबकि 2002-2005 के दौरान यह प्रतिशत क्रमशः 59, 52 और 27 प्रतिशत था । इसी प्रकार हिन्दी पदों से संबंधित कुल स्वीकृत पद क्षेत्र "क", "ख" तथा "ग" में क्रमशः 2421, 1026 और 1215 हैं जबकि उक्त क्षेत्रों में क्रमशः 342, 148 और 232 पद रिक्त पड़े हैं ।

6.13 समिति ने पाया कि 2002-2005 के निरीक्षणों के दौरान "क" क्षेत्र में 205 पद, "ख" क्षेत्र में 139 पद और "ग" क्षेत्र में कुल 191 पद रिक्त थे । यह एक अत्यंत गंभीर विषय है कि हिन्दी के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि हो रही है । समिति का मत है कि जब तक हिन्दी के सभी पद भर नहीं लिए जाते तब तक हिन्दी के प्रयोग में सुधार संभव नहीं है । अतः इन रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए ।

6.14 निरीक्षणों के दौरान पाया गया कि हिन्दी की पुस्तकों पर कार्यालयों द्वारा किए गए व्यय का प्रतिशत "क", "ख" तथा "ग" क्षेत्र में क्रमशः 57.98, 52.91 और 48.95. है ।

6.15 कार्यालयों के क्रमशः क्षेत्र "क" में 699, क्षेत्र "ख" में 341 और क्षेत्र "ग" में 753 कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित हैं । जिनमें से "क", "ख" तथा "ग" क्षेत्र में क्रमशः 179, 44 और 134 कार्यालयों में बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं ।

6.16 जनवरी, 2002 से मार्च, 2005 तथा मार्च, 2005 से सितम्बर, 2010 के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि "क" और "ग" क्षेत्र में हिन्दी जानने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा "ख" क्षेत्र में जहां हिन्दी जानने वालों की संख्या 105214 थी अब 97370 रह गई है । अतः यहां प्रशिक्षण को गति देने की आवश्यकता है ।

6.17 इसी प्रकार राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन में भी गिरावट आई है जबकि यह 100 प्रतिशत होना चाहिए । रजिस्ट्रारों आदि में प्रविष्टियों में भी गिरावट दिखाई देती है।

6.18 उपर्युक्त तुलनात्मक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि पत्राचार के प्रतिशत में यद्यपि सुधार हुआ है परंतु लक्ष्य से अभी काफी दूर है । इसी प्रकार कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य में भी सुधार नजर आता है

। प्रशिक्षण संस्थानों में द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता में पिछले पांच वर्षों के दौरान मामूली बढ़ोत्तरी हुई है ।

6.19 निरीक्षण के संबंध में समिति ने पाया कि प्रायः उप समितियों के निरीक्षण संबंधी कार्यक्रम जारी होने के बाद मंत्रालय/मुख्यालय आनन-फानन में निरीक्षणाधीन कार्यालयों का राजभाषा-निरीक्षण करते हैं क्योंकि निरीक्षण संबंधी जानकारी और रिपोर्ट मंत्रालय/मुख्यालय की प्रश्नावली के साथ संलग्न करनी होती है । फलस्वरूप निरीक्षण एक खानापूती मात्र बनकर रह जाता है ।

6.20 उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में समिति निम्नलिखित सिफारिशें करती है -

i) उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में क्रमशः 98.5 प्रतिशत, 92.9 प्रतिशत और 69.9 प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है परंतु 75 प्रतिशत से अधिक हिन्दी में काम करने वालों का प्रतिशत (कुल कर्मचारियों की संख्या में) क्रमशः 54.6 प्रतिशत, 13.4 प्रतिशत और 5.43 प्रतिशत है। यदि हिन्दी जानने वाले कार्मिकों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाए । इसके लिए "डेस्क प्रशिक्षण " भी कारगर साबित हो सकता है जहां संबंधित कर्मचारी को उसके डेस्क पर जाकर बताया जाता है कि उसके काम में किस प्रकार हिन्दी का उपयोग किया जाए और उसे राजभाषा नीति संबंधी जानकारी भी दी जा सकती है । "क" एवं "ख" क्षेत्रों में विशेष रूप से इस प्रयास को तेज करने की आवश्यकता है । "ग" क्षेत्र में सर्वप्रथम कार्मिकों को हिन्दी पढ़ने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर भेजना चाहिए ।

(ii) जैसाकि समिति ने अपने पिछले खंडों में सिफारिश की थी, कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने के संबंध में राजभाषा विभाग एक कार्यक्रम तैयार कर हिन्दी शिक्षण योजना के सहयोग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करे ।

(iii) राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है परंतु इसे किसी भी कार्यालय द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा है । समिति का मत है कि प्रत्येक कार्यालय के उच्चतम अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि पत्राचार के लक्ष्य को निश्चित रूप से अपने कार्यालय द्वारा प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किसी एक दिन सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्य की समीक्षा करें और आगामी माह के लिए हिन्दी में कार्य करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करें अर्थात् उन्हें क्या-क्या काम हिन्दी में करना है इसका निर्देश दें ।

(iv) समिति यह सिफारिश करती है कि विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा संबंधी रिक्त पड़े पदों को अविलम्ब भरा जाए क्योंकि यह भी एक कारण है जिससे कार्यालयों में हिन्दी में कार्य नहीं हो पा रहा है ।

(v) समिति का मत है कि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी करवाने के संबंध में व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है ।

(vi) समिति यह भी सिफारिश करती है कि प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपने कार्यचालन में सुधार लाएं और सभी बैठकों में उपर्युक्त सभी मदों की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर किया

जाए, राजभाषा विभाग इस संबंध में प्रत्येक तिमाही के अंत में सभी कार्यालयों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करे ।

(vii) समिति यह भी सिफारिश करती है कि सभी संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों के कार्यों में दो कॉलम जोड़े जाएं -

- (क) अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हिन्दी में कार्य करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- (ख) अधिकारी/कर्मचारी उस लक्ष्य को कहां तक प्राप्त करने में सफल हुआ, इस बारे में उच्चाधिकारी अपनी टिप्पणी दें ।
